महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सामान्य/10/2018/ 25470 – 590 दिनांक :- 25-7-2019

परिपत्र

यह ध्यान में आया है कि महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर द्वारा समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृहों से किसी भी प्रकार की सूचना उनकी एवं उनके अधीनस्थ कारागृहों की इकजाही चाहे जाने पर उनके द्वारा सूचना विलम्ब से भिजवाई जाती है तथा समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृहों द्वारा अधीनस्थ कारागृहों सहित सूचना महानिदेशालय कारागार को नहीं भिजवाई जाती है, जिससे सूचना संकलित किये जाने में एवं आगामी उचित कार्यवाही किये जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशालय कारागार द्वारा केन्द्रीय कारागृहों से सूचना अधीनस्थ कारागृहों सहित चाहे जाने पर या जिस प्रकार माध्यम से भिजवाये जाने के निर्देश पत्र में वर्णित हो उसी अनुरूप पूर्ण सूचना अधीनस्थ कारागृहों सहित ही तैयार कर इकजाही सूचना प्रेषित की जावे। केन्द्रीय कारागृहों पर सूचना संकलित किये जाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया जावे। केन्द्रीय कारागृहों से इकजाही सूचना चाहे जाने पर अधीनस्थ कारागृहों (महिला जेल/जिला/उप कारागृह) द्वारा सूचना सीधे ही महानिदेशालय कारागार को नहीं भिजवाई जावे। महानिदेशालय कारागार को अनावश्यक पत्रों की प्रतिलिपि ना भिजवाई जावे। परिपत्र की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
3. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान को पालनार्थ।
4. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
5. अधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
6. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजस्थान।
10. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
11. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल को वास्ते विभागीय साईट पर अपलोड हेतु।

25.7.19
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर